



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-112 / 2020
दिनांक : 26.05.2020

कार्यालयादेश

अनुवाद अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की दिनांक 16.04.2020 को संपन्न बैठक में अनुवाद के लिए एक राष्ट्रीय अभिकरण संघटित करने का निर्णय लिया गया था। अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 17.04.2020 को संपन्न बैठक में इस अभिकरण का नाम **भारतीय अनुवाद संघ (Indian Translation Consortium)** करने के निर्णय को संस्तुति प्रदान की गई। विद्या-परिषद की दिनांक 27.04.2020 को संपन्न 32वीं बैठक में इसे अनुमोदित किया गया है।

भारतीय अनुवाद संघ (Indian Translation Consortium) के कार्यारंभ और सुचारु संचालन/कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित को **भारतीय अनुवाद संघ (Indian Translation Consortium)** का संयोजक एवं सह-संयोजक नामित किया जाता है :

1. प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, प्रोफेसर, भाषा विद्यापीठ : संयोजक
2. डॉ. श्रीनिकेत कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, अनुवाद अध्ययन विभाग : सह-संयोजक

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
26/05/2020

प्रति (ईमेल द्वारा): सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ
4. अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली